न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय, न्याय कक्ष संख्या–1, बुलन्दशहर

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–3082 सन् 2026

सन्दीप पुत्र मदन, निवासी ग्राम हदीमपुर, थाना सिकंद्राबाद, जिला बुलन्दशहर।
.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोजन पक्ष।
मुकदमा अपराध संख्या–80 सन् 2026
(सत्र वाद संख्या–1449 सन 2026)
अन्तर्गत धारा–85, 80(2), 238(बी) बी0एन0एस0 तथा
धारा–3 व 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम,
थाना–सिकंद्राबाद, जिला बुलन्दशहर।

निस्तारण जमानत प्रार्थनापत्र

यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त सन्दीप की ओर से मय शपथपत्र उपरोक्त प्रकरण में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। आवेदक/अभियुक्त उक्त प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में है।

अभियोजन के संक्षिप्त कथानक के अनुसार वादी मुकदमा मुनेश पुत्र बहोरी सिंह ने थाना सिकंद्राबाद, जिला बुलन्दशहर पर इस आशय की तहरीर दी कि प्रार्थी ग्राम समसपुर थाना खुर्जा नगर जिला बुलन्दशहर का निवासी हूँ। प्रार्थी ने दिनाकं 15–06–2020 को अपनी पुत्री बबीता की शादी हिन्दू रीति–रिवाज से सन्दीप पुत्र मदन निवासी ग्राम हदीमपुर, थाना सिकन्द्राबाद, जिला–बुलन्दशहर के साथ की थी। सन्दीप व उसके परिजनो ने प्रार्थी की पुत्री बबीता को दिनांक 22–05–2025 फांसी लगाकर मार दिया था। बबीता पर दो छोटे–2 बच्चे हैं। प्रार्थी ने सन्दीप व उसके परिवार जनों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की तथा प्रार्थी ने अपनी दूसरी पुत्री का विवाह सन्दीप से जुलाई 2025 में कर दी जिससे की करिश्मा अपनी बहन के बच्चो का पालन–पोषण कर सके। प्रार्थी को दिनाक 27–01–2026 को सन्दीप ने सांय को फोन पर बताया की करिश्मा ने फांसी लगा ली है। प्रार्थी बाहर कार्य करता है रात को घर गया। उसके अगले दिन अपने गांव में सभी को बताया फिर मोबाईल नं0 1076 पर फोन किया था। तथा प्रार्थी को लडकी को दहेज के लिये करिश्मा का पति सन्दीप व जेठ प्रदीप तथा नन्द रीना तथा तथा लडकी की जेठानी छाया पत्नी प्रदीप पहले से ही परेशान किया करते थे। इस सभी व्यक्तियो ने मिलकर मेरी बेटी को फांसी लगाकर मारा है प्रार्थी अपनी पुत्री करिश्मा की हत्या रिपोर्ट दर्ज कराने थाना सिकन्द्राबाद में आया हूँ। हूँ प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज कर सभी के खिलाफ शीघ्र सख्त कार्यवाही अमल में लायी जाये।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए जमानत का प्रबल विरोध करते हुए कथन किया गया कि अभियुक्त प्राथमिकी में नामित है तथा मृतका का पति है। अभियुक्त ने वादी मुकदमा की पहली पुत्री बबीता को फॉसी लगाकर मार दिया था और अभियुक्त द्वारा प्रार्थी की पुत्री करिश्मा से अतिरिक्त दहेज की मॉग को लेकर वादी की पुत्री के साथ शादी के बाद से ही क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया तथा अतिरिक्त दहेज की मॉग की पूर्ति न होने पर उसे फॉसी लगाकर हत्या कर दी। विवेचना के पश्चात अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में आरोप पत्र प्रेषित

किया जा चुका है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध अत्यन्त गंभीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र में दिये गये आधारों को दोहराते हुए मुख्यतः अभिवाक किया कि आवेदक निर्दोष है, उसने कोई अपराध नहीं किया है, उसे झूठा फंसाया गया है। प्राथमिकी करीब 02 दिन विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। आवेदक ने अपनी पत्नी मृतका करिश्मा से कभी कोई दहेज की मॉग नहीं की और न ही दहेज की मॉग को लेकर उसे प्रताड़ित किया था। मृतका करिश्मा ने दिनॉक 27–01–2026 को गुस्सैल स्वभाव के कारण फॉसी लगा ली जिसकी सूचना अभियुक्त ने फोन पर उसी दिन अपने ससुर मुनेश/वादी को दी। उसके बाद अभियुक्त का ससुर मुनेश अथवा ससुराल का कोई भी व्यक्ति अभियुक्त के यहॉ शोक प्रकट करने नहीं आया और गॉव वालों की उपस्थिति में अपनी पत्नी करिश्मा का दाह संस्कार विधिवत् तरीके से किया। विवेचक द्वारा अपनी विवेचना दौरान स्वतंत्र गवाह श्रीमती राजवती, मनवीर सिंह, श्रीमती बबली, श्रीमती पूजा, श्रीमती राजकुमारी, श्रीमती आतिश, योगेश कुमार, अभिषेक आदि के बयानों में स्पष्ट अंकित है बबीता की करीब 8–9 माह पहले हार्ट अटैक पड़ने के कारण मृत्यु हो गयी थी। इससे साबित होता है कि अभियुक्त की पहली पत्नी बबीता की मौत का कारण वादी ने झूॅठा लिखाया है। आवेदक का उक्त घटना से कोई वास्ता नहीं है। आवेदक दिनॉक 02–02–2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उक्त आधार पर जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की गई है।

सुना एवं उपलब्ध प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन किया।

अभियोजन के अनुसार आवेदक/अभियुक्त पर वादी मुकदमा की पुत्री करिश्मा से अतिरिक्त दहेज की मॉग करने तथा अतिरिक्त दहेज की मॉग को लेकर वादी मुकदमा की पुत्री के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किये जाने तथा अतिरिक्त दहेज की मॉग की पूर्ति न होने पर उसे फॉसी लगाकर, उसकी दहेज मृत्यु कारित करने का आरोप अभिकथित है।

पत्रावली पर कोई पंचायतनामा उपलब्ध नहीं है।

वादी मुकदमा ने भी अपने बयान अन्तर्गत धारा–161 दं0प्र0सं0/180 बी0एन0एस0एस0 में कथन किया गया है कि साहब मैंने अपनी बेटी बबीता की शादी हिन्दू रीति रिवाज से दिनॉक 15–06–2020 को संदीप के साथ की थी और संदीप व उसके परिवार वालों द्वारा मेरी बेटी बबीता को दिनॉक 22–05–2025 को फॉसी लगाकर मार दिया गया था। यह लोग जुलाई वर्ष 2025 में हुई करिश्मा की शादी में भी दान–दहेज की मॉग कर रहे थे। लेकिन मैं इन लोगों की इच्छा के अनुसार दान–दहेज की पूर्ति नहीं कर सका। मेरे पास दिनॉक 27–01–2026 को संदीप ने शाम के समय फोन पर बताया कि करिश्मा ने फॉसी लगा ली है। इसके उपरांत मेरे द्वारा मुख्यमंत्री हैल्पलाईन नंबर–1076 पर कॉल कर इसकी सूचना दी गयी थी। संदीप व उसके परिवार वालों ने हम लोगों को बिना बताये ही सबूत मिटाने के उद्देश्य से करिश्मा का अंतिम संस्कार कर दिया गया था।

स्वतंत्र साक्षीगण श्रीमती राजवती पत्नी फूल सिंह निवासी ग्राम हमीदपुर उर्फ हदीमपुर, थाना सिकंद्राबाद द्वारा केस डायरी पर उपलब्ध अपने बयानों में कहा गया है कि संदीप अपनी पत्नी करिश्मा को दुखी रखता था, खर्चों के लिए पैसा भी नहीं देता था तथा करिश्मा से कहता था कि अपने पिता से दान–दहेज की मॉग करके परेशान करता था, लगातार करिश्मा को अतिरिक्त दहेज की मॉग पूर्ति के लिए प्रताड़ित करता था। इस प्रताड़ना के कारण ही दिनॉक 27–01–2026 को करिश्मा के द्वारा फॉसी लगायी गयी थी। संदीप के द्वारा अपनी पत्नी करिश्मा के शव को दाग लगाकर सबूत छिपाने के लिए

करिश्मा के शव की राख व हड्डियों को शमशान घाट से हटाकर नदी में डाल दिया गया है।

अन्य स्वतंत्र साक्षी गंभीर सिंह पुत्र वेदराम, बब्ली पत्नी नीरज द्वारा पर्चा सं0–7 दिनॉकित 27–02–2026 में इसी प्रकार के कथन किये गये हैं। साथ ही साथ पर्चा नंबर–8 दिनॉकित 07–03–2026 में भी स्वतंत्र गवाह श्रीमती पूजा पत्नी आतिश, राजकुमारी पत्नी सोनू, आतिश पुत्र राम सिंह व विवेचक द्वारा तथा अन्य केस डायरी में योगेश कुमार पुत्र नानक, अभिषेक पुत्र देवेन्द्र इत्यादि साक्षीगण द्वारा वादी मुकदमा द्वारा अपने बयानों में किये गये कथनों के समरूप कथन किया गया है।

वादी मुकदमा ने भी अपने बयान अन्तर्गत धारा–161 दं0प्र0सं0 में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है।

मृतका की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के अन्दर (शादी के एक वर्ष के अंदर) अप्राकृतिक रूप से हुई है। घटना के समय घटनास्थल पर आवेदक/अभियुक्त की उपस्थिति बतायी गयी है। अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार मृतका से मृत्यु से पूर्व अतिरिक्त दहेज की मांग किये जाने व अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर मृतका का शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न किये जाने का प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य उपलब्ध होना कहा गया है। अभियुक्त संदीप के द्वारा अपनी पत्नी करिश्मा के शव को दाग लगाकर सबूत छिपाने के लिए करिश्मा के शव की राख व हड्डियों को शमशान घाट से हटाकर नदी में डाल दिये जाने का कथन केस डायरी में उल्लेखित किया गया है आवेदक/अभियुक्त प्राथमिकी में नामित है तथा मृतका का पति है।

अतः मामले के समस्त तथ्य, परिस्थितियों तथा अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुण–दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त सन्दीप की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–3082 सन् 2026 निरस्त किया जाता है।

(शिवा नन्द)
अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय,
न्याय कक्ष संख्या 01,बुलन्दशहर
JO CODE NO-UP1622

दिनांक 08.06.2026

सैयद वसी उर रहमान–स्टेनो

अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय
न्याय कक्ष संख्या– 01, बुलन्दशहर।